

माही की गूंज में समाचार प्रकाशित होने के बाद भ्रष्ट चैनलिंग को देना ही पड़ा चार्ज

माही की गूंज, खवास।

चैनलिंग यानी आ.जा. सहकारी संस्था मामले के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश है। मामले में चैनलिंग राठौड़ सह-गाइड कर अपने कई भ्रष्टाचार को अंदर के अंदर ही कागजों की छतलों में दबकर खूब किया और अपने प्रभाव को प्रदर्शित करता रहा। इतना ही नहीं चैनलिंग राठौड़ अपनी मुठों पर ताब देकर अपने भ्रष्टाचार को रफ्तार देने का प्रयास भले ही करता रहा हो, परंतु असल में जब-जब अपने भ्रष्टाचार रूपी कार्यों में संचय तब-तब अंदर खतरा बित्त करने हेतु कुत्ते को भी अपना बाप मनाकर चरण बंद करने में भी पीछे नहीं खड़ा। हाल ही में मार्च में अपनी निजी कार क्रमिक एमपी 45 सी 0647 को अपीकथ संस्था की पराजिता दुकान के सेसर्पेन बाबू नहुम के घर के आगे खड़ी कर, मामले में करीब सौ कदम की दूरी पर संस्था की दुकान के सेसर्पेन ननु जैन को निर्देश देकर बाजार के दो कदम कर की दिशा में तो खाली बायपास कार की सैट पर काला बाजारी कार रखवाई और अपनी गाड़ी से स्वयं के घर ले जाकर या बाजार में बेच कालाबाजारी को अंजाम दिया।

संस्था के प्रबंधक चैनलिंग द्वारा खाद्यान्न की हेरा-फेरी व प्रबंधक को हटाने के आदेश के बाद भी पद पर बने रहने का, 'बीमार कर्मचारी को प्रभागी प्रबंधक का चार्ज लेने के आदेश आखिर क्यों किए गए?' समाचार प्रकाशित किए। जिसके बाद भ्रष्ट प्रबंधक पर खाद्यान्न की हेरा-फेरी करने पर गिरा गुन। 'कर्मियों के जांच को प्रभावित करने का अर्थक



— भ्रष्ट चैनलिंग अपनी विकल्प पर बहाव असु।

प्रयास कर रहा चैनलिंग' व 18 मार्च को 'स्वस्थ होने के बाद भी चैनलिंग या रस एसा प्रयास की सेसर्पेन नहीं ले प्रभागी प्रबंधक का चार्ज', 'मामला: भामत आजा सहकारी



— प्रभागी प्रबंधक कमलेश पाटीदार

संस्था के प्रबंधक चैनलिंग द्वारा खाद्यान्न की हेरा-फेरी व प्रबंधक को हटाने के आदेश के बाद भी पद पर बने रहने का, 'बीमार कर्मचारी को प्रभागी प्रबंधक का चार्ज लेने के आदेश आखिर क्यों किए गए?' समाचार प्रकाशित किए। जिसके बाद भ्रष्ट प्रबंधक पर खाद्यान्न की हेरा-फेरी करने पर गिरा गुन। 'कर्मियों के जांच को प्रभावित करने का अर्थक

प्रबंधक कामगिरी के निर्देश के सेसर्पेन के दिन चार्ज भामत आ.जा. सह. संस्था का प्रबंधक पद का देना ही पड़ा।

कमलेश पाटीदार उस संस्था प्रभागी प्रबंधक के रूप में चार्ज लेकर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। वहीं चैनलिंग अब सहायक प्रभागी प्रबंधक के रूप में रहकर वसुली का कार्य करेंगे। लेकिन चैनलिंग की साठ-गांड व उस मामले को भी अन्य मामलों की तरह रफ्तार-दफा करने का प्रयास कर कितने दिन में वापस कमलेश पाटीदार से उस प्रबंधक पद की कुर्सी हरियाने में कामयाब होत है, यह आगे देखने वाली बात है।

लेकिन माही की गूंज की पूरी नजर उस मामले पर टिकी है। किस तरह मुझे पर ताब देने वाला भ्रष्ट चैनलिंग राज पढ़ने पर कुत्ते को भी बाप बनाकर चरण बंद कर जातिवाद का बीज बोकर व जातीयता के दबाव के साथ बुढ़े बयान दिलवाकर उन्हें कदमों में खड्कर किस तरह से आना कर रहा बचाव, का करीब खुलासा अगले अंक में...

खोरिया पंचायत पर भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी

गुमराह कर जांच को भटकाने की कोशिश, आदेश के बाद भी जमा नहीं की राशि, कार्टवाइ हेतु भेजा पत्र

माही की गूंज, पेटेलवादा।

विकास खण्ड की पंचायती में गये भारी भ्रष्टाचार मामले में अब शायद ऐसी पहल हो कि, भ्रष्टाचार को रोकना अंजाम देने वाली के पत्रों की जमीन खसक जाए। ग्राम पंचायत खोरिया के प्रधान श्रीमति शोम्युडी पति रामलाल आरड एवं सचिव दिनेश भूरिया के विरुद्ध मानविय न्यायालय अथवा कलेक्टर जिला झाबुआ में प्रकरण क्रमिक 1/अ - 89/(1)/2020-21 दर्ज किया गया। ग्राम पंचायत खोरिया में पंचपरमेश्वर योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि में श्रीमति ख्य एवं अन्य ख्य का भुगतान देकर रामलाल आरड को किया गया, उस देकर संपन्न पति है, जो संकासपद है। कुल राशि 20 लाख 82 हजार रूपए के खोखलू निर्माण कार्य की राशि बिना निष्पत्ति के संपन्न-सचिव के संसुक डीडोटीट हस्ताक्षर



से आहरित की गई। उस कुल म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत शासकीय राशि का दुरुपयोग श्रेणी में आता है तथा संपन्न-सचिव संसुक रूप से जमादारी है। श्रीमति शोम्युडी पति रामलाल आरड (वर्तमान प्रधान) से 10 लाख 42 हजार रूपए एवं दिनेश भूरिया निरवधि सचिव ग्राम पंचायत खोरिया से 10 लाख 42 हजार रूपए कुल राशि 20 लाख 82 हजार वसुली किए जाने के आदेश दिए गए थे और संबंधित को एक सप्ताह का समय दिया। किंतु संबंधित द्वारा आज तक राशि जमा नहीं कराई गई है।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ द्वारा प्रकरण के परिष्करण उपरान्त 5 निर्माण कार्यों में से केवल 1 निर्माण कार्य भूक्रे पर पूर्ण करना एवं 4 शेष कार्य पंचायत द्वारा निर्माण कार्य आज तक प्राथम नहीं होकर राशि आहरित कर शासन को सौंपकरित होने की स्थिति प्राप्त होने से अधिनियम की धारा 92 के तहत वसुली की कार्टवाइ के पूर्व धारा 89 के तहत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अधिपति किया गया। जो न्यायालय में 23 नवम्बर

जिस स्थान की टीएस, एएस वी वहां के ग्राम के सदस्यों एवं निजी भूमि साइट में होने के कारण विरोध किया तो उस स्थान पर सीसी रोड का कार्य न कर उपरवी के मार्ग दर्शन में कार्य अन्त जहा पर सीसी रोड निर्माण का किया और भुगतान किया गया। तब गुमनसिंह शाह रोजवार सहायक एवं सचिव द्वारा नियम अनुसार पंचायत से भुगतान किया गया।

संपन्न अनपद महिला होने से सहायक सचिव एवं सचिव द्वारा बताया गया कि, निर्माण भी किया और भुगतान किया गया है, तब गुमनसिंह शाह रोजवार सहायक एवं सचिव द्वारा नियम अनुसार पंचायत से भुगतान किया गया। संपन्न अनपद महिला होने से सहायक सचिव एवं सचिव द्वारा बताया गया कि, रोजवार सहायक एवं उपरवी पत्र गुण के करे अनुसार डोलेन जन्मपद में ही रख दो एवं परे अनुसार भुगतान करवाया दिया जाएगा।

दूसरी जगह बताया कार्य भी नहीं मिले

संपन्न ने जांच को गुमराह कर बताया कि, बिन कार्यों की राशि निकाली गई उन कार्यों को विवाद के कारण दूररे स्थान पर किया गया। लेकिन जांच में संपन्न का दावा भी तहत गया गया। पूरे मामले को लेन-देन कर निपटाने के भी प्रयास भी किए गए लेकिन पंचायत का मानव सेट नहीं हुआ। न्यायालय आरड परे पति एवं निर्माण कार्य में सहायक करने व विसुली का कार्य करने से ग्राम पंचायत के पंचों को संझन में लेकर सचिव द्वारा भुगतान किया गया। संपन्न ने कहा कि, अनपद होने के कारण मुझे नियम एवं किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। मुझे कुल राशि 20 लाख 82 हजार बिना निर्माण कार्य किए राशि आहरण करना दर्शाया गया है। परे द्वारा किसी भी प्रकार से अपूर्ण कार्य नहीं किए गए है। जो कार्य परे द्वारा किए गए है वह सभी सही है।



— सरसक-नौदर व दसुली के आदेश के बाद भी नही कर पाए दसुली।

टाटा हिताची 210 एलसी सुपर पोकलेन (एस्केवेटर), जेसीबी 3 डीएक्स (बैकहो लोडर) एवं ट्रैक्टर संबंधी सभी कार्य के लिए संपर्क करें...

TATA HITACHI E/210LC Super Series

पोकलेन टाटा हिताची 210 एलसी सुपर

3 ऑपरेटर मो. 86026-23253

जेसीबी मशीन (बैकहो लोडर)

1 ऑपरेटर मो. 93013-23253

4 ऑपरेटर मो. 86025-23253

कार्यालय - ओम श्री साई ट्रेडर्स, बाजना मार्ग खवास, जिला झाबुआ मो. 86026-60341

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवर द्वारा काम्येक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवास, तहसील धौदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवर, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं.- 95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422